



उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल)
औद्योगिक आस्थान, आई०आई०ई० सेलाकुई, उत्तराखण्ड

Telefax: +91 1334 -235010

Website: www.siidcul.com

सं०: 77 / क्षेत्र० / सिडकुल / 2022

दिनांक 12/07/22

कोटेशन आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि औद्योगिक आस्थान सिडकुल सेलाकुई में Construction of Pre Fabricated Security Guard Room at Langha Road Charba, Vikasnagar, Dehradun.. सम्बन्धी कार्यो हेतु मुहरबन्द कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 19.07.2022 सांय: 03:00 बजे तक पंजीकृत ठेकेदारों से आमन्त्रित की जाती है, जो कि उसी दिवस उपस्थित कोटेशन दाताओं के समक्ष सांय: 03:30 बजे खोली जायेंगी, अधोहस्ताक्षरी को किसी कोटेशन अथवा समस्त कोटेशन को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली दर	
				अंकों में	शब्दों में
1	Construction of Pre Fabricated Security Guard Room:- (1)Supply and Fixing Super structure of floor, wall & roof with M.S Tublar hollow section Including cutting, bending, placing in position and binding all complete (2) Supply and Fixing of Roofing with 0.45 mm thick color coated sheet(jindal) (3) Supply and Fixing internal and outer wall cladding with 10 mm thik cement fiber board. (4) supply and fixing of Aluminum door & window including all fitting complete. (5) supply and fixing of flooring cement board 20 mm thick with PVC Flooring. (6) Electrical work with all completed. (7) Painting internal & outer complete all.	10.50	Sqm.		

नियम/शर्तें

- 1 एक अथवा समस्त कोटेशनों को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- 2 सशर्त/स्पष्ट/दरों में कांट-छांट आदि कोटेशन स्वीकार नहीं होगी।
- 3 कराये गये कार्यो के देयक से नियमानुसार करों की कटौती की जाएगी।
- 4 कार्य निर्धारित अवधि पूर्ण न किये जाने की दशा में 500.00 प्रतिदिन अथवा कार्य का एक प्रतिशत जो भी कम होगा, अर्थदण्ड देना होगा।
5. कार्यस्थल पर कार्य के दौरान यदि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना एवं क्षति होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कोटेशनदाता का होगा।
6. कार्यो के सम्पादन हेतु लगाये जाने वाले श्रमिकों का भुगतान कोटेशनदाता द्वारा श्रमिकों को करना होगा, श्रमिकों के भुगतान/विवाद सम्बन्धी शिकायत का निस्तारण कोटेशनदाता द्वारा स्वयं किया जायेगा,जिसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 7 समस्त दरों में जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
- 8 कार्य की मात्रा घटायी एवं बढ़ाई जा सकती है।
- 9 संतोषजनक कार्यो के सापेक्ष भुगतान देय होगा।
- 10 कोटेशन पंजीकृत फर्मों को ही निर्गत की जायेगी।
- 11 अन्य शर्तें अनुबन्ध के अनुसार होंगी।

कोटेशन दाता के हस्ताक्षर

कोटेशन दाता का नाम/पता.....


(राखी)

क्षेत्रीय प्रबन्धक,

प्रतिलिपि:-

1. उपमहाप्रबन्धक, सिडकुल, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. नोटिस बोर्ड/वेब साईट पर अपलोड हेतु।

(राखी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक,